

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
278	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 364) दि. 11.03.2015 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत दहलवाडाकलां, रहटवाडा एवं कुलकुही नगर परिषद में सम्मिलित हो जाने पर इन पंचायतों के नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जाना।	ग्राम रोजगार सहायकों को अन्यत्र पदस्थ किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
279	परि.ता.प्र.सं. 14 (क्र. 880) दि. 11.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की ग्राम पंचायत करेला, जनपद पंचायत राघौगढ़ में निर्माण कार्य की जांच एवं दोषी कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कार्यवाही प्रचलन में है।		
280	परि.ता.प्र.सं. 15 (क्र. 884) दि. 11.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की चाचौडा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तैयार किये कोर नेटवर्क में छूटे शेष ग्रामों को जोड़ा जाना।	कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।		
281	परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1611) दि. 11.03.2015 (श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक)	दमोह जिले अंतर्गत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित गुणवत्ताविहीन सड़कों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	जांच की कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावेगी।		
282	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1958) दि. 11.03.2015 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले के जनपद पंचायत शाहपुर की ग्राम पंचायत झापड़ी एवं कांटावाड़ी के निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितता किए जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच पश्चात दोषियों के विरुद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
283	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 2073) दि. 11.03.2015 (श्री संजय शर्मा)	नरसिंहपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एन.एच.266 (लिंगा) से इमझिरी क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाना।	स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
284	परि.ता.प्र.सं. 74 (क्र. 2443) दि. 11.03.2015 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों का कार्य अनुबंध अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने पर निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	ठेकेदारों का दायित्व निर्धारण, कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाकर, अर्थदण्ड आरोपित कर अंतिम भुगतान किया जावेगा।		
285	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 2625) दि. 11.03.2015 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों के पंजीयन क्रमांक प्रान (PRAN) नंबर आवंटित किये जाकर पेंशन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को वेतन से कटौती की राशि अंतरण किया जाना।	पंजीयन क्रमांक आवंटित होने पर प्रान नंबर आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जावेगी तथा संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी।		
286	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 2871) दि. 11.03.2015 (श्री नथनशाह कवरेती)	छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माण एजेन्सी द्वारा अनुबंधानुसार सड़क का निर्माण समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उत्तरदायी ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है।		
287	परि.ता.प्र.सं. 107 (क्र. 3083) दि. 11.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया-मौ रोड से भीकमपुर मार्ग रेत परिवहन की ओवर लोडिंग से क्षतिग्रस्त हुये मार्ग की मरम्मत कराया जाना।	मरम्मत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
288	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 3109) दि. 11.03.2015 (श्री शंकर लाल तिवारी)	जिला सतना के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालयों में म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत लंबित प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	प्रकरण का गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।		
289	परि.ता.प्र.सं. 113 (क्र. 3156) दि. 11.03.2015 (श्री अजय सिंह)	सीधी जिले की विधान सभा क्षेत्र चुरहट अंतर्गत खेरा से चन्दरेह मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने पर मार्ग गारंटी अवधि के अंतर्गत संधारण किया जाना।	मार्ग की 5 वर्ष की गारंटी अवधि के अंतर्गत शेष बचे समय में संधारण किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति जारी करने के पश्चात मार्ग संधारण हेतु कार्यवाही की जावेगी।		
290	परि.ता.प्र.सं. 143 (क्र. 3592) दि. 11.03.2015 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर, जबलपुर एवं नीमच जिले में ई-पंचायत भवन का कार्य (प्री फेब्रीकेशन) निर्माण एजेन्सी द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं करने एवं घटिया निर्माण कार्य कराये जाने की जांच एवं दोषी निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध शर्तों अनुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) नियम/अनुबंध की शर्तों के अनुसार दण्डारोपित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। (2) प्रगतिरत कार्य समयसीमा में शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।		
291	परि.ता.प्र.सं. 149 (क्र. 3781) दि. 11.03.2015 (श्री उमंग सिंघार)	एस.आई.आर.डी. के अंतर्गत एन.जी.ओ. को दिये गये प्रशिक्षण में आर्थिक अनियमितताओं की, कराई गई जांच में जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषी संचालक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
292	परि.ता.प्र.सं. 174 (क्र. 4049) दि. 11.03.2015 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	प्रदेश की स्वयं सेवी संस्थाओं को कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा दिये कार्यदेश की अनुबंध/शर्तों के अनुसार कार्य संतोषप्रद नहीं करने पर संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	असंतोषप्रद संस्थाओं को ब्लेक लिस्ट करने तथा विभाग की किसी भी योजना में भाग लेने से वर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है।		
293	परि.ता.प्र.सं. 182 (क्र. 4190) दि. 11.03.2015 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की तहसील मझौली अंतर्गत ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर निर्मित रपटा (पाईप काजवे) क्षतिग्रस्त होने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्य के निर्माण की जांच जल संसाधन विभाग द्वारा कराई जा रही है। गुणदोष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।		
294	परि.ता.प्र.सं. 186 (क्र. 4263) दि. 11.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	जिला बैतूल की मुलताई विधान सभा क्षेत्र में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता का नियमानुसार परीक्षण कराये बिना निर्माण कार्य पूर्ण कर सी.सी. जारी करने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	सी.सी. जारी करने वाली तकनीकी अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं।		
295	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 1001) दि. 11.03.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खण्डवा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर नेटवर्क से छूटे ग्रामों को जोड़ा जाना।	कोर नेटवर्क से छूटे हुये ग्रामों को योजनांतर्गत जोड़े जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।		
296	अता.प्र.सं. 40 (क्र. 2266) दि. 11.03.2015 (श्रीमती इमरती देवी)	जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत अनुबंध अनुसार समय-सीमा में मार्ग का निर्माण नहीं करने पर नियमानुसार निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंधानुसार अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
297	अता.प्र.सं. 89 (क्र. 3277) दि. 11.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में विभाग के आदेश दिनांक 19.04.2011 के विरुद्ध मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराने की जांच एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जांच ।	वर्तमान में जिला स्तर पर जांच प्रचलन में है ।		
298	अता.प्र.सं. 114 (क्र. 3898) दि. 11.03.2015 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले की विजयाराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम में कराये जाने वाले निर्माण कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधि के मांग पत्र की अनदेखी करने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही ।	मांगपत्र में उल्लेखित कार्यों का विभिन्न संबंधित विभागों एवं योजनाओं के आलोक में परीक्षण कराया जा रहा है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

सहकारिता विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
299	परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र. 1357) दि. 11.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों की साधारण सभा की कागजों पर फर्जी बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति के फर्जी हस्ताक्षर की जांच कराया जाना एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, जांच निष्कर्षाधीन।		
300	परि.ता.प्र.सं. 53 (क्र. 2026) दि. 11.03.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	जिला सहकारी बैंक, गुना अंतर्गत गुना व अशोकनगर जिलों में सेवा नियम 2010 एवं वर्ष 2013 में विहित प्रावधान व प्रक्रिया के विरुद्ध कृषि साख सेवा समितियों को स्वतंत्र प्रभार देने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच के आदेश दिये गये हैं . जांच निष्कर्षाधीन. जांच निष्कर्षाधीन.		
301	परि.ता.प्र.सं. 94 (क्र. 2829) दि. 11.03.2015 (डॉ. गोविन्द सिंह)	केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या.भिण्ड शाखा मिहोना, रौन एवं दबोह अंतर्गत सेवा सहकारी संस्थाओं में सहायक समिति प्रबंधक/प्रबंधक/सेल्समेन/चौकीदार के पद पर नियुक्ति किये जाने/दैनिक वेतन भोगी पर नियम विरुद्ध रखे जाने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच के आदेश दिये गये, जांच निष्कर्षाधीन. (2) कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन.		
302	अता.प्र.सं.50 (क्र.2449) दि.11.03.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल में एस.जी.एस.वाँय. योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की जांच में दोषी पाये गये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	म.प्र.राज्य सहकारी बैंक के सेवायुक्तों के सेवानियमों के अंतर्गत श्री एन.यू.सिद्दीकी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

सहकारिता विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
303	अता.प्र.सं. 72 (क्र. 2954) दि. 11.03.2015 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर की शासकीय शिक्षक कर्मचारी सहकारिता गृह निर्माण समिति के लिए आरक्षित भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना एवं भूमि का सीमांकन कराया जाना।	अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का सीमांकन कराने हेतु संस्था प्रशासक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतवाली, जबलपुर के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।		
304	अता.प्र.सं. 120 (क्र. 3991) दि. 11.03.2015 (श्री मधु भगत)	कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के पुराने सदस्यों को भू-खण्ड न देकर नये सदस्यों को नियम विरुद्ध भू-खण्ड आवंटन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश की जांच कराई जा रही है, शेष जांच निष्कर्षाधीन.		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
305	परि.ता.प्र.सं. 36 (क्र. 1692) दि. 11.03.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र किया जाना ।	चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकृत कृषकों को अनुदान का भुगतान उनकी पात्रता के आधार पर नियमानुसार किया जावेगा ।		
306	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 1857) दि. 11.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	कृषि उपज मंडी समिति भाण्डेर, जिला दतिया भिण्ड एवं रन्नोद, जिला शिवपुरी में फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	इसकी जांच पूर्ण होने पर प्रकरणवार गुण-दोष के आधार पर नियम अंतर्गत निर्णय लिया जावेगा ।		
307	परि.ता.प्र.सं. 99 (क्र. 2911) दि. 11.03.2015 (श्रीमती नीना वर्मा)	धार जिले में वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि से रबी की फसल गेहूं एवं चने के नुकसान की क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से किया जाना ।	(1) क्षतिपूर्ति दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है । (2) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2013-14 मौसम रबी क्षतिपूर्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है ।		
308	परि.ता.प्र.सं. 104 (क्र. 3021) दि. 11.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	मंडियों में फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रक्रियाधीन है जिसके जांच निष्कर्ष के आधार पर नियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।		
309	परि.ता.प्र.सं. 129 (क्र. 3365) दि. 11.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उप मंडी पीपलरावा के प्रांगण में मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।	उपमंडी पीपलरावा के प्रांगण में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
310	परि.ता.प्र.सं. 130 (क्र. 3366) दि. 11.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	देवास जिले की सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत बलराम तालाब स्थल पर निर्माण कराये बिना ही कागजी कार्यवाही पूर्ण कर राशि का आहरण करने वाले संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
311	अता.प्र.सं. 64 (क्र. 2797) दि. 11.03.2015 (श्री कमलेश शाह)	छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भू-संरक्षण विभाग के अपूर्ण कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।	अपूर्ण संरचनाओं को कृषकों से सहमति प्राप्त कर पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।		
312	अता.प्र.सं. 92 (क्र. 3339) दि. 11.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	कृषि उपज मंडी समिति पवई, जिला पन्ना में फर्म शारदा दाल मिल बिना लायसेन्स के संचालन किये जाने पर तत्कालीन मंडी सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	तत्कालीन मंडी सचिवों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।		
313	अता.प्र.सं. 110 (क्र. 3840) दि. 11.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वर्ष 2010 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुये प्राध्यापक/वैज्ञानिक को पुनरीक्षित छठवीं यू.जी.सी. पेंशन का लाभ दिया जाना।	(1) विश्वविद्यालय द्वारा शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है। अतः यह शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ही पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान बाबत कार्यवाही सुनिश्चित की जाना संभव होगा। (2) प्रस्ताव विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
314	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 3145) दि. 11.03.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	परि.ता.प्र.सं.29(क्र. 316) दि.08.12.2014 के संदर्भ में बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेने वालों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। (2) विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होने पर कार्यवाही की जाएगी।		
315	परि.ता.प्र.सं. 147 (क्र. 3703) दि. 11.03.2015 (श्री जितू पटवारी)	प्रदेश में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में म.प्र.वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कुप्रबंधन/लापरवाही से अनाज खराब होने के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 में जारी दिशा निर्देश अनुसार निश्चित समय सीमा में जांच को पूर्ण की जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	म.प्र. वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तात्कालिक शाखा प्रबंधक बक्तरा श्री विद्याराम अर्गल, शाखा प्रबंधक पिपरिया (डोकरीखेडा) श्री जे.एस. पोरस, शाखा प्रबंधक पवारखेडा श्री एस.के. गुरुव एवं शाखा प्रबंधक हथनापुर श्री आई.एम.एस. मनचंदा जिला होशंगाबाद के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
316	परि.ता.प्र.सं. 78 (क्र. 2505) दि. 11.03.2015 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले के नगरीय क्षेत्र सोयतकलां में नवीन या सहायक लोक सेवा केन्द्र आरंभ किया जाना ।	जी हाँ, शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

परिवहन विभाग

दिनांक 11.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
317	अता.प्र.सं. 137 (क्र. 4269) दि. 11.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	नवीन परिवहन नीति 2010 के अनुसार बसों, उप नगरीय बसों एवं टेक्सी का किराया कम किया जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।		